



क्लाइमेट फाइनेंस एंड USD 100 बलियन गोल: OECD

प्रलिस के लयः

क्लाइमेट फाइनेंस एंड USD 100 बलियन गोल: OECD, [COP \(कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज़\) 28](#), [OECD \(आर्थिक सहयोग एवं वकिस संगठन\)](#), जलवायु वतित, [UNFCCC \(जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक अभसिमय\)](#)

मेन्स के लयः

क्लाइमेट फाइनेंस एंड USD 100 बलियन गोल: OECD, पर्यावरण परदूषण और कषरण

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यो?

दुबई में [COP \(कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज़\) 28](#) के एकतर होने से पूरव [आर्थिक सहयोग एवं वकिस संगठन \(OECD\)](#) ने एक रपौरट जारी की है जिसका शीरषक 'क्लाइमेट फाइनेंस एंड USD 100 बलियन गोल' (Climate Finance and the USD 100 Billion Goal) है, जिसमें दर्शाया गया है की वकिसति देश [जलवायु शमन हेतु](#) प्रतविरष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के अपने वादे में वफिल रहे हैं।

- यह रपौरट 2013-21 की अवधि के आधार पर वकिसशील देशों के लयि वकिसति देशों द्वारा प्रदत्त तथा जुटाए गए [वर्षाधिक जलवायु वतित के समगर रुझान](#) प्रस्तुत करती है।

आर्थिक सहयोग एवं वकिस संगठन (OECD) क्या है?

- **परचियः**
 - OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लयि की गई है।
 - अधिकांश OECD सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनका [मानव वकिस सूचकांक \(HDI\)](#) बहुत उच्च है एवं उन्हें वकिसति देश माना जाता है।
- **स्थापना:**
 - इसके मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी तथा इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं।
 - OECD में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश थे- अप्रैल 2020 में कोलंबिया तथा मई 2021 में कोस्टा रिका।
 - भारत इसका सदस्य नहीं है अपति एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।
- **OECD द्वारा जारी रपौरट और सूचकांक:**
 - गवर्नमेंट एट अ ग्लांस
 - OECD बेटर लाइफ इंडेक्स

पृष्ठभूमि क्या है?

- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में [जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक अभसिमय \(UNFCCC\)](#) के 15वें सम्मेलन (COP 15) में वकिसति देश वर्ष 2020 तक वकिसशील देशों में [जलवायु कार्रवाई](#) के लयि प्रतविरष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के सामूहिक लक्ष्य के लयि प्रतबिद्ध हैं।
- लक्ष्य को **कैनकन में COP16** में औपचारिक रूप दिया गया था और पेरिस COP21 में इसे दोहराया गया तथा वर्ष 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया।
- दान दाता देशों के अनुरोध पर **OECD वर्ष 2015 से इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति पर नज़र रख रहा है।** यह एक मज़बूत लेखांकन ढाँचे के आधार पर की गई प्रगति का नियमिति विश्लेषण करता है, जो कस्रोत और वतिलीय साधन की फंडिंग पर पेरिस समझौते के सभी पक्षों द्वारा सहमत

रिपोर्ट के मुख्य नष्कर्ष क्या हैं?

- **कुल जलवायु वित्त:**
 - वर्ष 2021 में वकिसति देशों द्वारा वकिसशील देशों के लिये प्रदान किया गया और जुटाया गया कुल जलवायु वित्त **89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था, जो पछिले वर्ष की तुलना में 7.6% की महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
 - **सार्वजनिक जलवायु वित्त (द्विपक्षीय और बहुपक्षीय) 2013-21** की अवधि में लगभग दोगुना हो गया, यह 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 73.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2021 में कुल 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारी योगदान के लिये ज़िम्मेदार है।
 - जुटाया गया नज़ी जलवायु वित्त, जिसके लिये तुलनीय डेटा केवल 2016 से उपलब्ध है, 2021 में 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर या कुल का 16% था।
- **अनुकूलन वित्त में गिरावट:**
 - वर्ष 2021 में अनुकूलन वित्त में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (-14%) की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप कुल जलवायु वित्त में इसकी हसिसेदारी **34% से घटकर 27%** हो गई।
 - अनुकूलन के लिये वित्त में कमी से **वकिसशील देशों की शमन** और अनुकूलन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के वषिय में चर्तिएँ बढ़ रही हैं।
- **जलवायु वित्तपोषण में ऋण का प्रभुत्व:**
 - वर्ष 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से 73.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त जुटाया गया तथा 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में प्रदान किये गए।
 - अनुदान के बजाय ऋण पर निर्भरता, **गरीब देशों में ऋण तनाव को बढ़ा सकती है**, जिससे जलवायु चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता प्रभावति हो सकती है।
- **सफ़िराशिन:**
 - अनुकूलन वित्त को बढ़ाने की आवश्यकता: अंतरराष्ट्रीय प्रदाताओं को दो आवश्यक क्षेत्रों में अपने प्रयासों को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है: अनुकूलन वित्त और नज़ी वित्त जुटाना।
 - **क्षमता निर्माण: परियोजना वकिस, वित्तीय साक्षरता और परिचालन दक्षता के संदर्भ में क्षमता निर्माण का समर्थन करने की आवश्यकता है**, जो वकिसशील देशों की जलवायु वित्त तक पहुँच, अवशोषण तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमताओं को मज़बूत कर सकता है।
 - वित्तीय उत्पादों को अनुकूलति और वकिसति करना: जलवायु वित्त की पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये अंतरराष्ट्रीय प्रदाताओं को उन वित्तीय उत्पादों तथा तंत्रों को अनुकूलति व वकिसति करने की आवश्यकता है जो वे पेश करते हैं।

OECD रिपोर्ट के मुद्दे क्या हैं?

- **परभाषाओं में स्पष्टता का अभाव:**
 - 'जलवायु वित्त' की **सार्वभौमिक रूप से सहमत परभाषा का अभाव है**, जो वकिसति देशों को **आधिकारिक वकिस सहायता (ODA)** और उच्च लागत वाले ऋणों सहति वभिन्न प्रकार के वित्तपोषण को जलवायु वित्त के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।
 - यह अस्पष्टता दोहरी गणना को संक्षम कर सकती है और जाँच से बच सकती है।
- **अतरिकिता के साथ चुनौतियाँ:**
 - UNFCCC द्वारा निर्धारति "नए और अतरिकित वित्त" के सिद्धांत, जिसका उद्देश्य **जलवायु उद्देश्यों हेतु मौजूदा सहायता को रोकने के लिये है**, पर सवाल उठाया गया है।
 - कुछ देशों ने "नए और अतरिकित" मानदंड को कमज़ोर करते हुए सहायता की दोहरी गणना करना स्वीकार किया है।
- **अंकति मूल्य पर ऋण समतुल्य अनुदान नहीं:**
 - कुल जलवायु वित्त आँकड़े निकालते समय ऋणों को अंकति मूल्य के आधार पर माना जाता है, न कि अनुदान के बराबर।
 - इसलिये जबकि गरीब देश पुनर्भुगतान और ब्याज के लिये पैसा खर्च करते हैं, फरि भी ऋण को वकिसति दुनिया द्वारा प्रदान किये गए जलवायु वित्त के रूप में गना जाता है।

आगे की राह

- जलवायु वित्त योगदान के लिये पारदर्शी और मानकीकृत रिपोर्टिंग तंत्र स्थापति करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें फंडिंग की **कीट्रैकगि और रिपोर्टगि हेतु स्पष्ट मानदंड और कार्यप्रणाली को परभाषति करना**, सटीकता सुनिश्चित करना तथा फंड की दोहरी गणना या गलत वर्गीकरण को रोकना शामिल है।
- **जलवायु वित्त के गठन के लिये सार्वभौमिक रूप से सहमत परभाषाएँ** और मानदंड वकिसति करना आवश्यक है। इससे अस्पष्टता को रोका जा सकेगा, सटीक माप संभव हो सकेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि वास्तव में अतरिकित धनराशिका उपयोग जलवायु शमन व अनुकूलन हेतु किये जा सके।
- **वाणज्यिक ऋणों पर अनुदान या रियायती ऋण के प्रावधान को प्रोत्साहति करने से वकिसशील देशों पर ऋण का बोझ कम हो सकता है।** जलवायु संबंधी कार्रवाइयों का समर्थन करते समय ऐसे वित्तपोषण तंत्र को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है जो ऋण तनाव न बढ़ाते हों।

